प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 1786/2024

निर्णय सुरक्षित किया गया : 24.03.2025
निर्णय पारित किया गया : 09.05.2025

1– रूपपेट शर्मा पिता श्री विजय कुमार शर्मा उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी अधन नगर, पीछे, सी.टी. केंद्र, कांकेर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

2– धनेशराम यादव पिता श्री सतुराम यादव उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी भोबलाबहरा, थाना दुबली, तुमगांव, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

---अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना– तुमगांव के द्वारा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री अखिलेश मिश्रा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: सुश्री प्रिया शर्मा, पैनल अधिवक्ता

के साथ

दाण्डिक अपील संख्या 1307/2024

रूपित शर्मा पिता श्री विजय कुमार शर्मा उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी अधन नगर, पीछे, सी.टी. केंद्र, कांकेर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

---अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना– तुमगांव के द्वारा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलकर्ता की ओर से: श्री प्रियांक राठी, अधिवक्ता

राज्य-उत्तरवादी की ओर से: सुश्री प्रिया शर्मा, पैनल अधिवक्ता

माननीय अरविंद कुमार वर्मा ,न्यायाधीश

सीएवी निर्णय

1. चूंकि, दोनों अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन पर एक साथ सुनवाई और निर्णय किया जा रहा है।

2. अपीलकर्ताओं द्वारा बीएनएसएस, 2023 की धारा 415(2) के तहत सीआरए संख्या 1786/2024 और दं. प्र. सं., 1973 की धारा 374(2) के तहत सीआरए संख्या 1307/2024 दायर की गई है, जो विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम), महासमुंद (छग) द्वारा विशेष आपराधिक एनडीपीएस अधिनियम प्रकरण संख्या एच-39/2023 में पारित दिनांक 24.06.2024 (अनुलग्नक ए-1) के आदेश से व्यथित है, जिसके तहत विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और निम्नानुसार दंड पारित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषसिद्धि	दंड	व्यतिक्रम करने पर
स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21(सी) के अंतर्गत जुर्माना	10 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना राशि ₹1,00,000/-	1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास

3. अभियोजन प्रकरण की संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि दिनांक 28.09.2023 को तुमगांव थाने के सहायक उपनिरीक्षक नीलांबर सिंह नेताम (पीडब्लू-9) को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटर सायकल हीरो होंडा स्प्लेंडर पंजीयन क्रमांक छ.ग./06/0585 पर सवार होकर प्रतिबंधित मादक पदार्थ बेचने के लिए बसना से रायपुर जा रहे हैं। उक्त सूचना पर साथ के स्टाफ एवं गवाह मौके पर पहुंचे। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दो व्यक्ति उक्त मोटर सायकल पर बसना की ओर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस स्टाफ द्वारा उन्हें रोककर पूछताछ करने पर मोटर सायकल चालक ने अपना नाम रूपित शर्मा, पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम धनेशराम बताया तथा दोनों व्यक्तियों ने बताया कि उनके बीच हरे, काले एवं गुलाबी रंग के थैले में प्रतिबंधित

मादक पदार्थ, टेबलेट, सिरप एवं इंजेक्शन हैं। उन्हें उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराने के पश्चात् उनके संयुक्त कब्जे में एक हरे, काले व गुलाबी रंग के थैले के अन्दर अवैध रूप से 47 नग पेन्टाजोसीन लैक्टेट इंजेक्शन आई.पी. (प्रत्येक में 01 मिली.) कुल 47 मिली. जिसमें पेन्टाजोसीन की निर्धारित मात्रा तथा 04 पैकेट जिसमें 100–100 नग नाइट्राजेपाम टैबलेट आई.पी. (प्रत्येक गोली 10 मि.ग्रा.), कुल 400 नग नाइट्राजेपाम टैबलेट जिसमें निर्धारित मात्रा नाइट्राजेपाम तथा 30 नग रिसॉफ्ट गोल्ड सिरप (प्रत्येक बोतल में 100 मिली.), कुल 3000 मिली. जिसमें निर्धारित मात्रा कोडीन तथा 17 नग विन्कोरेक्स कफ सिरप (प्रत्येक बोतल में 100 मिली.), कुल 1700 नग मादक औषधि तथा कोडीन फास्फेट नामक मन:प्रभावी पदार्थ निर्धारित मात्रा में पाया गया। अभियुक्त रूपित शर्मा एवं धनेशराम यादव को दण्ड प्रक्रिया संहिता कि धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस देकर उनसे बरामद उक्त मादक पदार्थ के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, किन्तु उन्होंने बताया कि उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं हैं। अभियुक्तों से बरामद मादक पदार्थ को नमूना हेतु पृथक किया गया तथा नमूना एवं शेष मादक पदार्थ को सील कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. घटना की आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् आरोपीगण रूपित शर्मा एवं धनेशराम यादव के विरुद्ध शून्य पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जब्त सम्पत्ति को सुरक्षित रखने हेतु चौकी के मालखाने में जमा कराया गया।

5. शून्य एफआईआर के आधार पर अपराध संख्या 165/2023 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम कि धारा 21 एक्ट पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के पश्चात् अभियोग पत्र दिनांक 25.01.2023 को क्षेत्राधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

6. अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 9 साक्षीयो कि परीक्षा की। अपीलकर्ताओं के कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है।

7. अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपील के कंडिका 02 में उल्लिखित अनुसार अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और दण्डित किया। अतः, अपील प्रस्तुत किया गया ।

8. संबंधित अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभिलेखों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने पर भी उन्हें त्रुटिपूर्ण तरीके से दोषी ठहराया

है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन पक्ष स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21(सी) के तहत आरोप सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है और अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को दोषी ठहराकर और दंड सुनाकर गंभीर भूल की है, इसलिए दोषसिद्धि और दंड का आक्षेपित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध निर्धारित आरोप में कहीं भी वाणिज्यिक मात्रा का उल्लेख नहीं है कि यह वाणिज्यिक मात्रा कैसे है, जबकि निर्णय के पहले कंडिका के अंत में इसे वाणिज्यिक मात्रा दर्शाया गया है, जबकि आरोप में कोई संशोधन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में भी, गलत आरोप के आधार पर वाणिज्यिक मात्रा के लिए दोषसिद्धि गलत है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए। स्वतंत्र साक्षी पप्पू जेंद्रे (पीडब्लृ-3) और लक्ष्मण टंडन (पीडब्लृ-4), जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा संपूर्ण तलाशी और जब्ती कार्यवाही के पंच साक्षी बताया गया था, ने अभियोजन पक्ष की किसी भी कथित कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित किए जाने और उनसे प्रतिपरीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाने के बाद, इन साक्षीयो ने घटनास्थल पर किसी भी तलाशी और जब्ती की कार्यवाही से स्पष्ट रूप से इनकार किया है और अन्य कार्यवाहियों को झूठा बताया है। इन साक्षीयो ने कहा है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के कहने पर प्रलेख पी-3 से पी-19 तक पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए, जहां तक अन्वेषण अधिकारी द्वारा किये गये अन्वेषण का सवाल है, पंच साक्षीयो ने अन्वेषण अधिकारी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है, स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21(सी) के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और दंड पारित का निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। उन्होंने आगे कहा कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषी ठहराना मुख्य रूप से एएसआई नीलांबर नेताम (पीडब्लृ-9) और अन्य पुलिस साक्षीयो के साक्ष्य पर आधारित है। ऐसी स्थिति में, विचारण न्यायालय को उनके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करने और स्वतंत्र रूप से सराहना करने की आवश्यकता थी, परंतु विचारण न्यायालय ने न तो उनके साक्ष्य और प्रतिपरीक्षा में दिए गए उनके जवाबों की जांच की और न ही उनका ठीक से मूल्यांकन किया, जिससे जांच और तलाशी जब्ती के सबूत संदिग्ध और अविश्वसनीय साबित हुए और ऐसे में विचारण न्यायालय ने सबूतों का मूल्यांकन करते समय और एनडीपीएस जैसे गंभीर अपराध में अपीलकर्ता को दोषी ठहराते और दंड पारित करते समय इन पर विचार नहीं किया है, अतः, आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि तलाशी और ज़ब्ती करने वाले पुलिस अधिकारी को स्वापक औषधि एवं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं का पालन करना आवश्यक है और एएसआई (पीडब्लू–9) ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42(1) और (2), 50 और 52 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया। अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायालय अपील स्वीकार करे और अपील ज्ञापन में दिए गए तर्कों, प्रस्तुत तर्कों और न्याय के हित में अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जावे।

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की सराहना करते हुए, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को सही रूप से दोषी ठहराया है।

10. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार किया है और साथ ही अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेख का भी अध्ययन किया है।

11. सहायक उपनिरीक्षक नीलाम्बर नेताम (अ.सा.–9) ने कंडिका–2 में कथन किया है कि दिनांक 28.09.2023 को थाना तुमगांव में उपस्थित रहते हुए उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटर साइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर रजिस्ट्रेशन क्रमांक छ ग/06/0585 पर नशीली दवाओं की अवैध विक्रय के लिए बसना से रायपुर जा रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर उन्होंने डायरी सनहा क्रमांक में प्रविष्टि की तथा आरक्षक क्रमांक 480 दिनेश ठाकुर को कार्य प्रमाण पत्र एवं दो साक्षीयो को बुलाने के निर्देश के साथ थाने में उपस्थित कराया। तत्पश्चात, आरक्षक ने गवाह पप्पू राम गेंद्रे एवं लक्ष्मण टंडन को ग्राम अमावस से बुलाकर थाना तुमगांव लाया। गवाहों के थाने में उपस्थित होने पर उन्होंने उन्हें प्र.सा.–3 का नोटिस देकर कार्यवाही की जानकारी दी। साक्षीयो की उपस्थिति में मुखबिर सूचना का पंचनामा एवं बिना वारंट तलाशी का पंचनामा, बिना वारंट तलाशी की अनुमति, प्र.पी–3 की सूचना देकर कार्यवाही से अवगत कराया गया। तत्पश्चात, पुलिस कर्मचारी एवं साक्षीयो द्वारा एनएच 53 तुमगांव चौक पहुंचकर क्षेत्र की घेराबंदी की गई। कुछ देर बाद मुखबिर की सूचना में उल्लेखित नंबर की एक मोटर साइकिल आती दिखाई दी। उसे रोककर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम रूपित शर्मा एवं उसके पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम धनेश बताया। उनके पास रखे बैग के संबंध में पूछने पर उसने बताया कि उसमें प्रतिबंधित नशीली दवाएं, टेबलेट एवं इंजेक्शन हैं। तत्पश्चात, मौके पर ही दोनों अभियुक्तगण को प्र.पी.10 एवं प्र.पी.11 की धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की सूचना देकर उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराया गया कि वे स्वयं एवं अपने वाहन की तलाशी किसी भी राजपत्रित अधिकारी, मजिस्ट्रेट एवं हम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पुलिसकर्मियों से करा सकते हैं, तब दोनों अभियुक्तगण ने स्वयं एवं अपने वाहन की तलाशी लेने की सहमति दी। कार्यवाही के संबंध में दिया गया नोटिस प्र.पी.10 और प्र.पी.11 है।

12. कंडिका–8 में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि कार्यवाही के पश्चात् संदिग्ध व्यक्तियों एवं उनके वाहन की तलाशी लेने पर मोटर सायकल हीरो होंडा स्प्लेंडर क्रमांक छग/06/0585 में एक हरा काला कत्था, गुलाबी रंग के थैले में 30 नग सिरप, 17 नग कफ सिरप, 47 नग इंजेक्शन, 398 नग प्रतिबंधित टेबलेट रखी हुई मिली, तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहन की तलाशी लेने पर पंचनामा प्र.पी.–9 तैयार किया गया। तलाशी कार्यवाही के पश्चात् 47 नग पेंटाजोसिन लैक्टेट इंजेक्शन, 04 पैकेट जिसमें 100 नग नाइट्राजेपेम टेबलेट 10 एमजी प्रत्येक, कुल 398 टेबलेट, 30 नग रिसॉफ्ट गोल्ड सिरप 100 एमजी, 17 नग विन्सेरेज़ कफ सिरप बरामद किया गया तथा बरामदगी पंचनामा प्र.पी. 12 तैयार किया गया। दोनों अभियुक्तगण को मादक पदार्थ के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज़ दिखाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 91 के अंतर्गत अलग–अलग नोटिस दिए गए थे, जिन पर अभियुक्त ने यह लिखकर हस्ताक्षर किए थे कि उसके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 91 के अंतर्गत नोटिस धारा 36 और 37 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. कंडिका–10 में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियुक्तगण रूपित शर्मा एवं धनेश राम से मोटर सायकल हीरो होण्डा स्प्लेंडर पंजीयन क्रमांक छ.ग/06/0585 एवं दो टच स्क्रीन मोबाईल फोन, 47 नग पेन्टाजोक इंजेक्शन, 04 पैकेट जिसमें 100–100 नाइट्राजेपेम टेबलेट 10 एमजी, 30 नग रिसॉफ्ट गोल्ड सिरप 100 एमजी, 17 नग विन्सेरे कफ सिरप एवं जांच हेतु पृथक किया गया नमूना जप्त किया गया तथा सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी/. 14 बनाया गया। कार्यवाही के पश्चात् अभियुक्तगण रूपित शर्मा एवं धनेश राम यादव को मौके पर ही स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम कि धारा 21 के तहत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी/. 18 एवं प्र.पी/. 19 कायम किया गया। मौके पर ही अभियुक्तगण एवं उनसे जप्त दवाईयां/इंजेक्शन एवं अन्य सामग्री को स्टाफ एवं साक्षीयो के साथ थाने वापस ले जाया गया तथा दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध देहाती नालशी में पंजीबद्ध अपराध के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

14. अपने प्रतिपरीक्षण (कंडिका–30) में, इस साक्षी ने यह कथन किया है कि सम्पूर्ण कार्यवाही की रिपोर्ट प्र.पी. 46 के अनुसार उप–मंडल पुलिस पदाधिकारी को भेजी गई थी, जिसमें दिनांक का स्थान रिक्त है, जिससे यह पता नहीं चलता है कि उक्त रिपोर्ट किस दिनांक को उप–मंडल पुलिस पदाधिकारी को भेजी गई थी। उक्त प्र.पी.–

46 में, उप–मंडल पुलिस पदाधिकारी की इस पावती का कोई उल्लेख नहीं है कि प्र.पी. 46 किस दिनांक को उनके कार्यालय में प्राप्त हुई थी। उप–मंडल पुलिस पदाधिकारी को भेजी गई सम्पूर्ण कार्यवाही की रिपोर्ट में पेंट्राजोसिन लैक्टेट इंजेक्शन और नाइट्राजेनपाम टैबलेट की जब्ती की जानकारी दी गई है।

15. अपने प्रतिपरीक्षण (कंडिका–32) में इस साक्षी ने यह प्रमाणित किया है कि जब्त माल रजिस्टर के क्रमांक 35 के पैरा 02 एवं 03 के अनुसार, नाइट्राजेपाम टैबलेट एवं पेंटाजोसिन लैक्टेट इंजेक्शन जमा किए जाने का उल्लेख है। औषधि जब्ती पंचनामा, औषधि पहचान पंचनामा, संपत्ति जब्ती पत्रक में यह उल्लेख है कि प्रत्येक स्थान पर नाइट्राजेपाम टैबलेट एवं पेंटाजोसिन लैक्टेट इंजेक्शन जब्त किए गए थे।

16. अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि ज़ब्त की गई दवाओं/इंजेक्शनों से लिए गए नमूनों की जाँच औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा की गई और उनमें नाइट्राज़ेपाम टैबलेट आईपी, पेंटाज़ोसीन लैक्टेट इंजेक्शन आईपी, विन्कोरेक्स कफ सिरप और रिसॉफ्ट गोल्ड कफ सिरप पाए गए। अतः, उपरोक्त एफएसएल रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि अभियुक्त घटना के दिन और समय पर बिना किसी वैध लाइसेंस के ज़ब्त किए गए सामान नाइट्राज़ेपाम, पेंटाज़ोसीन, कोडीन फॉस्फेट का परिवहन कर रहे थे। स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 02 (xxiii) के अन्तर्गत अनुसूची में दी गई स्वापक औषधियों की सूची में क्रम संख्या 27 पर पेन्टाजोसीन, 64 पर नाइट्राजेपाम अंकित है तथा दिनांक 16 जुलाई, 1996 की अधिसूचना के अन्तर्गत दी गई तालिका, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (vii-a) एवं खण्ड (xxiii-a) के अन्तर्गत लघु मात्रा एवं वाणिज्यिक मात्रा को निर्दिष्ट करती है, में क्रम संख्या 28 पर कोडीन की मात्रा एक किलोग्राम तथा क्रम संख्या 175 पर पेन्टाजोसीन की मात्रा 500 ग्राम तथा क्रम संख्या 221 पर 500 ग्राम नाइट्राजेपाम को वाणिज्यिक मात्रा बताया गया है।

17. अगला विवाद्यक जो हमारे विचारार्थ है, वह स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42 के अनुपालन से संबंधित है। उक्त प्रयोजनों के लिए, स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42 के मूल पाठ का विश्लेषण आगे किया गया है। स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42 का शब्दांकन इस प्रकार है:–––

"42. वारंट या प्राधिकरण के बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति।–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभागों या अर्ध–सैनिक बलों या सशस्त्र बलों सहित केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का ऐसा कोई अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से रैंक में वरिष्ठ अधिकारी हो) जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया हो, या किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का ऐसा कोई अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से रैंक में वरिष्ठ अधिकारी हो) जिसे राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया हो, यदि उसके पास व्यक्तिगत ज्ञान या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित रूप में ली गई जानकारी से यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी मादक दवा, या मन:प्रभावी पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य लेख जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है या कोई अवैध रूप से अर्जित संपत्ति या कोई दस्तावेज या अन्य लेख जो किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जो इस अधिनियम के अध्याय वीए के तहत जब्ती या फ्रीजिंग या जब्ती के लिए उत्तरदायी है, किसी भी इमारत, परिवहन या संलग्न स्थान में रखी या छिपाई गई है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच,–

(क) किसी भी ऐसे भवन, वाहन या स्थान में प्रवेश कर उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ख) प्रतिरोध की स्थिति में, किसी भी दरवाजे को तोड़ सकेगा और ऐसे प्रवेश में आने वाली किसी भी बाधा को हटा सकेगा;

(ग) ऐसी औषधि या पदार्थ और उसके निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों तथा किसी अन्य वस्तु और किसी पशु या वाहन को जब्त कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत जब्ती के योग्य है और किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को जब्त कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है या किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को धारण करने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा जो इस अधिनियम के अध्याय 5 क के अंतर्गत जब्ती, फ्रीजिंग या जब्ती के योग्य है; और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है, और यदि वह उचित समझे तो उसे गिरफ्तार कर सकता है, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है: [परंतु इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नियम या आदेश के अधीन दी गई विनिर्मित औषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति के धारक के संबंध में, ऐसी शक्ति का प्रयोग उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून अधिकारी द्वारा किया जाएगा: आगे यह भी परित है कि] यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि साक्ष्य छिपाने का अवसर दिए बिना या अपराधी के निकल भागने की सुविधा दिए बिना तलाशी वारंट या प्राधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह अपने विश्वास के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात् सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है।

(2) जहां कोई अधिकारी उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना लिखित रूप में लेता है या उसके परंतुक के अधीन अपने विश्वास के आधारों को अभिलिखित करता है, वहां वह बहत्तर घंटे के भीतर उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी को भेजेगा।"

18. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 55 में निम्नलिखित प्रावधान है:--

"55. पुलिस द्वारा अभिगृहीत और परिदत्त वस्तुओं को अपने अधिकार में लेना। किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश तक, उस पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत और उसे परिदत्त की जाने वाली सभी वस्तुओं को अपने अधिकार में लेगा और सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा, तथा ऐसे किसी अधिकारी को, जो ऐसी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने तक आएगा या जिसे इस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा, ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुहर लगाने या उनसे नमूने लेने की अनुमति देगा और इस प्रकार लिए गए सभी नमूनों पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की मुहर भी लगाई जाएगी।"

19. स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 57 में निम्नलिखित प्रावधान है:--

"57. गिरफ्तारी और जब्ती की रिपोर्ट। जब भी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत कोई गिरफ्तारी या जब्ती करता है, तो उसे ऐसी गिरफ्तारी या जब्ती के अगले अड़तालीस घंटों के भीतर, ऐसी गिरफ्तारी या जब्ती के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को देनी होगी।"

20. अभियोजन पक्ष ने विधिवत प्रमाणित किया है कि प्रकरण में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42(1)(2) एवं 50 के अनिवार्य प्रावधानों तथा स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52-ए, 55 एवं 57 के प्रावधानों का पालन किया गया है। इस प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी द्वारा स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का विधिवत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पालन करते हुए तलाशी एवं जांच कार्यवाही की गई तथा अभियुक्त रूपित शर्मा, धनेश राम यादव के संयुक्त कब्जे से परिवहन की जा रही प्रतिबंधित नशीली टेबलेट, सिरप, इंजेक्शन को जब्त किया गया। विधिवत नमूनाकरण की कार्यवाही की गई। घटना स्थल से वापस आने के पश्चात स्टोर रूम में सुरक्षित स्थिति में रखा गया। स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 कि धारा 52-ए के अंतर्गत तैयार किए गए नमूने का एफएसएल परीक्षण कराया गया जिसमें प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप, टेबलेट, इंजेक्शन होना प्रमाणित हुआ है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार समय-सीमा में वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराकर विधिक कार्यवाही की गई है। जब्ती ज्ञापन प्र.पी.-14 के अनुसार, अभियुक्त रूपित शर्मा और धनेश राम यादव के संयुक्त कब्जे से दवाइयाँ और इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। जब्त की गई मात्रा व्यावसायिक मात्रा में थी, जो स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21(सी) के अंतर्गत दंडनीय है।

21. साक्ष्य के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 28.09.2023 को थाना तुमगांव के सहायक उपनिरीक्षक नीलांबर सिंह नेताम (पीडब्लू-9) को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन क्रमांक CG/06/0585 पर सवार होकर बसना से रायपुर की ओर प्रतिबंधित मादक पदार्थ बेचने के लिए जा रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस दल और साक्षी मौके पर पहुंचे। मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दो व्यक्ति उक्त मोटरसाइकिल पर बसना की ओर आते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें रोककर पूछताछ की गई, तो मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम रूपित शर्मा बताया, पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम धनेशराम बताया और दोनों व्यक्तियों ने बताया कि उनके बीच एक हरे, काले और गुलाबी रंग के बैग में प्रतिबंधित मादक पदार्थ, टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन हैं जैसा कि इस निर्णय के कंडिका-3 में उल्लेख किया गया है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, अपीलकर्ताओं के संयुक्त कब्जे से प्रतिबंधित मादक दवाएं, गोलियां, सिरप और इंजेक्शन जब्त किए गए।

22. वर्तमान प्रकरण में संपूर्ण तलाशी और जब्ती कार्यवाही वास्तविक पाई गई है और पुलिस कर्मियों द्वारा सही प्रक्रिया अपनाई गई है। जब पुलिसकर्मी गुप्त सूचना पर मौके पर गए, तो उन्होंने अपीलकर्ताओं को उनकी मोटरसाइकिल के साथ पाया जिसमें नशीले पदार्थ रखे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया। इसका वजन और नमूनाकरण सक्षम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्राधिकारी द्वारा साबित किया गया था और अभियोजन पक्ष के साक्षीयो के साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया जा सका और यह साबित पाया गया कि अपीलकर्ताओं के पास इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मादक दवाएं, गोलियां, सिरप और इंजेक्शन पाए गए थे। अपीलकर्ता अपने मामले को सही साबित करने के लिए कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगा सका कि एनडीपीएस अधिनियम के किसी भी अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया है।

23. यद्यपि अभियुक्त रूपीत शर्मा और धनेश राम यादव ने जाँच अधिकारी के प्रति दुर्भावनापूर्वक पूर्वाग्रह रखने का बचाव किया है, किन्तु मात्र जाँच या अभियोजन पक्ष के मामले में कमी पूर्वाग्रह का आधार नहीं हो सकती। अभियुक्त रूपीत शर्मा और धनेश राम यादव ने किसी भी स्तर पर यह दावा नहीं किया है कि अन्वेषण अधिकारी ने उनसे पूछा था कि क्या कोई दुश्मनी थी या पुलिस का आशय उन्हें जानबूझकर फँसाने का था। इसके अतिरिक्त, अन्वेषण अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या दुर्भावना से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः बचाव पक्ष द्वारा झूठे आरोप लगाने का आधार भी स्वीकार्य नहीं है। अभियोजन पक्ष आरोपी रूपित शर्मा और धनेश राम यादव के खिलाफ सभी आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। इसलिए, मामले में साक्ष्य की उपर्युक्त समग्र जांच के बाद, यह पाया गया है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त रूपित शर्मा और धनेश राम यादव ने 28.09.2023 को 19:50 बजे, पुलिस थाना तुमगांव के अंतर्गत तुमगांव तिराहा एनएच 53 रोड पर, अपने संयुक्त कब्जे में, मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर क्रमांक सीजी / 06/0585, अवैध रूप से 47 पीस पेंट्राजोसिन लैक्टेट इंजेक्शन आई.पी. (01 मिली प्रत्येक) कुल 47 मिली, एक हरे, काले, गुलाबी रंग के बैग के अंदर, जिसमें निर्धारित मात्रा में पेंटाजोसिन और 04 पैकेट जिसमें 100 पीस नाइट्राजेपाम टैबलेट आई.पी. थे। (प्रत्येक गोली 10 मि.ग्रा.) कुल 400 पीस नाइट्राजेपाम टैबलेट जिसमें निर्धारित मात्रा में नाइट्राजेपाम और 30 पीस री–सॉफ्ट गोल्ड सिरप (प्रत्येक बोतल में 100 मि.ली.), कुल 3000 मि.ली. जिसमें निर्धारित मात्रा में कोडीन है और 17 पीस विन्सेरेक्स कफ सिरप (प्रत्येक बोतल में 100 मि.ली.), कुल 1700 मि.ली. जिसमें निर्धारित मात्रा में मादक दवा और मनोदैहिक पदार्थ कोडीन है, को उनके संयुक्त कब्जे में रखकर अवैध रूप से ले जाया जा रहा था, जो कि वाणिज्यिक मात्रा होने के कारण धारा 21(सी) एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय है। तदनुसार, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1985 की धारा 21(सी) के तहत अपराध का दोषी साबित करने में पूरी तरह सफल रहा है और उन्हें उक्त अपराध का दोषी ठहराया गया है।

24. अभिलेख में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चल सके कि अभियुक्त को मामले में झूठा फंसाया गया है। स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 21 (सी) में प्रावधान है कि जो कोई भी, इस अधिनियम के किसी प्रावधान या किसी नियम या बनाए गए आदेश या इसके तहत दिए गए अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन करते हुए, किसी निर्मित दवा या किसी निर्मित दवा युक्त किसी भी तैयारी का निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतर–राज्यीय आयात, अंतर–राज्यीय निर्यात या उपयोग करता है, वह दंडनीय होगा। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता–अभियुक्त के अवैध कब्जे से पेंटाजॉक इंजेक्शन के 47 टुकड़े, 100–100 नाइट्राजेपम टैबलेट 10 एमजी वाले 04 पैकेट, रिसॉफ्ट गोल्ड सिरप 100 एमजी के 30 टुकड़े, विनकोरेक्स कफ सिरप के 17 टुकड़े जब्त किए गए थे। वह इस बारे में कोई सुझाव नहीं दे सके कि उनके पास इतनी बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ कैसे पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. एफएसएल रिपोर्ट एक्स.पी–48 से एक्स.पी–51 यह भी साबित करती है कि नाइट्राजेपेम टैबलेट, पेंटाजोक इंजेक्शन, विंकोरेक्स कफ सिरप और रिसॉफ्ट गोल्ड सिरप के नमूने के पैकेट कुल मात्रा से लिए गए थे और मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के लिए तैयार की गई सूची में थे, जिसमें इसे प्रतिबंधित मादक कफ सिरप, टैबलेट और इंजेक्शन होने के लिए प्रमाणित किया गया है, जो अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप की पुष्टि करता है।

26. इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि मादक औषधियों की सूची में, पेंटाजोसिन का उल्लेख क्रम संख्या 27 पर, नाइट्राजेपाम का उल्लेख 64 पर है, जो लघु मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा को निर्दिष्ट करता है, जिसे अधिनियम की धारा 2 के खंड (vii-a) और खंड (xxiii-a) के अंतर्गत बनाया गया है, संख्या 28 पर कोडीन की मात्रा एक किलोग्राम है और संख्या 175 पर पेंटाजोसिन की मात्रा 500 ग्राम है और संख्या 221 पर 500 ग्राम नाइट्राजेपाम को वाणिज्यिक मात्रा के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वाणिज्यिक मात्रा अपीलकर्ताओं के संयुक्त कब्जे से पाई गई है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला स्थापित किया है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने विशेष आपराधिक (स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम) प्रकरण संख्या एच–39/2023 में स्वापक औषधि एवं

मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21(सी) के तहत अपीलकर्ताओं को सही रूप से दोषी ठहराया है। इसलिए, विशेष न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

27. जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक अपीलकर्ता को दी गई 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,00,000/– रुपये के जुर्माने की सजा का संबंध है, यह अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम दंड है, इसलिए सजा के भाग में भी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

28. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान आपराधिक अपील में सार का अभाव है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

29. इस आदेश और मूल अभिलेखों की एक प्रति आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को तत्काल प्रेषित की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur